

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकुलाय उभय / इच्छाधीन स: 681 और 62
जवाब पेश हुआ / नकल दिखानी / नकल
इच्छाधीन के जवाब पत्रावली दिनांक 5/8/24 को
पेश की

मुकदमा नम्बर- 656/2023

महावीर प्रसाद बनाम गिरधारी वगै0

5/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 की ओर से जवाब पेश किया। नकल प्रार्थी वकील को दिलायी गयी। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 17.07.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten Signature)

(राजवीर सिंह यादव)
उपस्थान्त अधिकारी
नीमडाधाना (राज.)

